

निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.7 (04) प्रवेश नीति / अकाद / आकाशि / 2020-21 / 1177

दिनांक : 21-09-2020

प्राचार्य नोडल,
37 नवीन व 13 राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- 37 नवीन राजकीय महाविद्यालयों व 13 राजकीय महाविद्यालयों में खोले गए नवीन संकाय के शुल्क जमा करवाने बाबत।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक प 7(4) प्रवेश नीति / अकाद / आकाशि / 2020-21 / 1132 दिनांक 24.08.2020।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा में राज्य में खोले गए 37 नवीन राजकीय महाविद्यालयों व 13 राजकीय महाविद्यालयों में खोले गए नवीन संकाय में शुल्क जमा करवाने की अन्तिम तिथि कोविड-19 के मध्यनजर विद्यार्थी हित में 21 सितम्बर 2020 से 24 सितम्बर 2020 तक बढ़ाई जाती है। नोडल प्राचार्य शुल्क जमा करवाने से वंचित रहे विद्यार्थियों का शुल्क जमा करवाना सुनिश्चित करे।



(संदेश नायक IAS)

आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान.

क्रमांक:- एफ-7(4) प्रवेश नीति / अकाद / आकाशि / 2020 / 1177

दिनांक:- 21-09-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासनसचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमती ज्योति लुहाडिया, अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
5. वेब प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा को अपलोड हेतु।



(संदेश नायक IAS)

आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान.